



कायबिद्य प्रभागीय वनाधिकारी, तयई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक संख्या 1532 /12-1

दिनांक, 16/10/2018

सेवा में,

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी।

विषय— Proposal no. FP/UK/ROAD/26820/2017 रा0मा0-74 के कि0मी0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड द्वारा जारी ई0डी0एस0 दिनांक 23.08.2018।

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में 10 बिन्दुओं पर ई0डी0एस0 दिनांक 23.08.2018 को जनरेट किया गया था। उक्त ई0डी0एस0 से सम्बन्धित आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक 516/2सी0 दिनांक 06.10.2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर ई0डी0एस0 के बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

- 1- Authority letter uploaded in online part I is not in favour of applicant. The authority letter may be issued/upload in favour of applicant in the designated column - Authority letter has been uploaded by the user agency in favour of applicant in the designated column.**
- 2- In para-E of online part I, it is mentioned that permanent and temporary Employment for 03 person and 15000 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be correct - Correct employment generation related information has been uploaded by the user agency.**
- 3- The cost benefit analysis provided in Annexure VI B and C is not uploaded with format (attached herewith) - Cost benefit analysis is not required as the proposal is entirely in plain land (14.856 ha.).**
- 4- Alternate alignment details is not filled at para-D in Form A, Part I - Alternate alignment was not considered because this alignment is on an old existing road where no tree felling is required.**
- 5- Generally the area proposed for CA is double the area proposed for diversion, and in this case it's should be 29.712 ha. But it is mentioned 24.042 ha. In details provided in part I needs clarification and necessary correction - The forest area proposed for diversion is 14.856 ha., the land proposed for CA is 15.00 ha of the 24.042 ha. Transferred to forest department. Since the 24.042 ha. Land provided in Haridwar is a non forest land hence equivalent land for CA is required. Thus for this land transfer proposal only 14.856 ha. Non forest land was needed for CA, which has been rounded off to 15.00 ha. Thus 9.042 ha. Extra land has been transferred in favour of forest department which can be used by the user agency for some other land transfer project if needed.**
- 6- Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest (in km.) is not filled correctly at column 7 in Form A part II - Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest is clearly filled in column 7 in Form A part II, it has been written as 0.00 km. as the proposed area is within reserve forest and there is no distance between the proposed site and forest boundary.**
- 7- Please upload land scheduled with compartment no including area at para 13 as additional information, in Form A, Part II - Para 13 is related to the land proposed for CA, since the land proposed for CA was entirely a non forest land hence was not part of any compartment of any forest division. Thus the entry in para 13 is correct.**
- 8- NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in Form A, Part II. NPV calculation must be done according to filled density and Eco Class at Para -4(i) in Form A, part II - Revised NPV calculation has been uploaded by the user agency and it is also being annexed (Annexure-1) with this letter.**

9- CA scheme and site suitability certificate is not uploaded at para-13 in Form A, Part II – CA scheme and site suitability certificate issued by DFO haridwar is being annexed (Annexure-2) with this letter.

10- Provide separate component wise break up in B-2.4 as in following way :-

a- Road – 14.856 ha.

b- Muck dumping – No land has been proposed for muck dumping as fresh cutting of road is not required as the alignment of this road is on an old existing road.

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक /

उक्त दिनांकित।

- प्रतिलिपि—
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित ई0डी0एस0 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
 2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त नवीन संशोधित प्रपत्र समस्त सम्बन्धित कार्यालयों की हार्ड कॉपी में भी चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।


प्रपत्र-42


परियोजना का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किसी 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।


संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निर्माण खण्ड ए0डी0वी0, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंह नगर द्वारा आवेदित भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है।

1. ईको-क्लास श्रेणी	-	1
2. हरियाली का घनत्व	-	0.50 - 0.60
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	-	939000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	14.856 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	-	13949784.00


वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
तराई पूर्वी प्रभाग, हरद्वारी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
सितारगंज
तराई पूर्वी वन प्रभाग हरद्वारी



प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हरद्वारी.

जनपद उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-74 के 239 किमी०
(सिरसामाड़) कैम्प रोड़ से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु
वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में

क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र

विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष जनपद हरिद्वार के ग्राम
दुधलादयालवाला परगना नजीबाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में 15.00 है० सिविल
भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित की गई है। इस क्षेत्र में वन्य जीवों- यथा
चीतल, सांभर, हाथी, गुलदार, बारहसिंघा, नीलगाय आदि की बहुतायत में उपस्थिति
है। मृदा, जलवायु और अन्य प्राकृतिक कारक वनीकरण के लिए उपयुक्त हैं।


अतः प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 15.00
है० भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, परन्तु वनीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में इसको
वन्य जीवों से बचाने के विशेष इन्तजाम (सोलर फैंसिंग/ऊंची दीवार आदि) करने
अपरिहार्य होंगे।


उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार

जनपद उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-74 के 239 किमी० (सिरसामोड़) कैम्प रोड़ से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जनपद हरिद्वार के ग्राम दुधलादयालवाला उर्फ टांटवाला परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार में 15.00 है० पर होने वाले व्यय का वर्षवार विवरण का प्रस्तावित प्राकलन (वर्ष 2018-19 की प्रचलित विभागीय दरों के आधार पर)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई (है०)	दर/है०	योग
1.	अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)	15.00	155594.00	233910.00
2.	वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष)	15.00	49520.00	742800.00
3.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)	15.00	19829.00	297435.00
4.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)	15.00	19829.00	297435.00
5.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)	15.00	19829.00	297435.00
6.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्ठम् वर्ष)	15.00	20864.00	312960.00
7.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (सप्तम वर्ष)	15.00	20864.00	312960.00
8.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (अष्टम वर्ष)	15.00	20864.00	312960.00
9.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (नवम वर्ष)	15.00	22144.00	332160.00
10.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (दशम वर्ष)	15.00	22194.00	332910.00
			योग	5572965.00
			या	55,72,900.00

(रु० पचपन लाख बहत्तर हजार नौ सौ मात्र)


उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार